

**लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 172वीं बैठक दिनांक
15 दिसम्बर, 2021 का कार्यवृत्त**

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 172वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष श्री रंजन कुमार, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:-

उपस्थिति:-

01. श्री अक्षय त्रिपाठी
02. श्री धर्मेन्द्र वर्मा
03. श्री ए०एस० भाटी
04. श्री अभय पाण्डेय
05. श्री पी०के० सिंह
06. श्री ए०के० मिश्रा
07. सुश्री रेखा श्रीवास्तव
08. श्री अनुपम श्रीवास्तव
09. श्री पी०एन० सिंह
10. श्री पुष्कर शुक्ला
11. श्री राम कृष्ण यादव
12. श्री राधवराम तिवारी
13. श्री संजय सिंह राठौर
14. श्री मुसविर अली 'मंशू'

अन्य उपस्थिति:-

15. श्री पवन कुमार गंगवार
16. श्री ज्ञानेन्द्र वर्मा
17. श्री राजीव कुमार सिंह
18. श्री इन्दु शेखर सिंह
19. श्री नितिन मित्तल
20. श्री राम शंकर सिंह
21. श्री शशिभूषण पाठक
22. श्री माधवेश कुमार

सर्वप्रथम् उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया। तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

| मद सं० | विषय | निर्णय |
|---------|--|---|
| 172 / 1 | लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 08.06.2021 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण। | प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। |
| 172 / 2 | लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 08.06.2021 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या। | प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं विषय संख्या-5 पर निम्नांकित निर्देश दिये गये:- |

| | | |
|-------|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> प्राधिकरण के रिक्त पलैटों को एकमुश्त विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि रिक्त पलैटो के क्रय/विक्रय/सेल एग्रीमेन्ट पर पुनर्परीक्षण कर अवगत करायें। |
| 172/3 | अमर शहीद पथ से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग के संरेखण में एलीवेटेड फ्लाई ओवर के निर्माण के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव का पुष्टिकरण। | परिचालन के माध्यम से अमर शहीद पथ से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग के संरेखण में एलीवेटेड फ्लाई ओवर के निर्माण विषयक पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई। |
| 172/4 | नादान महल रोड पर नवभारत पार्क में मल्टीलेविल पार्किंग को नगर निगम, लखनऊ को हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में। | सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा नादान महल रोड पर नवभारत पार्क स्थित मल्टीलेविल पार्किंग के नगर निगम, लखनऊ को हस्तांतरित किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |
| 172/5 | लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड आवासीय योजना को निजी विकासकर्ता के माध्यम से लाईसेंस के आधार पर विकसित करने के सम्बन्ध में। | सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड आवासीय योजना को लाईसेंस के आधार पर निजी विकासकर्ता में 0 ओमेक्स लि0 के माध्यम से विकसित किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |
| 172/6 | उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-12-के अन्तर्गत मॉडल उपविधि “विकास प्राधिकरण (मुख्य मार्ग से सटे कतिपय भवनों के अग्रभाग की अनुरक्षण एवं मरम्मत) उपविधि-2021” के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में। | सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-12-के अन्तर्गत मॉडल उपविधि “विकास प्राधिकरण (मुख्य मार्ग से सटे कतिपय भवनों के अग्रभाग की अनुरक्षण एवं मरम्मत) उपविधि-2021” अंगीकृत किये जाने विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। |
| 172/7 | उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-16 के परन्तुक के अधीन उपविधि बनाये जाने के सम्बन्ध में। | सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-16 के परन्तुक के अधीन उपविधि बनाये जाने के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरणों (योजनाओं के उल्लंघन में भूमि एवं भवनों का उपयोग जारी रखने हेतु) मॉडल उपविधि-2021 के क्रियान्वयन से सम्बन्धित अधिसूचना के अंगीकरण का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |
| 172/8 | लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं में रिक्त पलैटों के फ्रीज मूल्यों की समयवृद्धि 01 वर्ष बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में। | सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं में रिक्त पलैटों के फ्रीज मूल्यों की समयवृद्धि पुनः 01 वर्ष बढ़ाये जाने पर बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गई। |
| 172/9 | मूल्यांकन अनुभाग के कार्यों को सम्पादित किये जाने हेतु आउट-सोर्सिंग से वरिष्ठ सहायक कार्स्ट | सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा मूल्यांकन अनुभाग के कार्यों को सम्पादित किये जाने हेतु आउट-सोर्सिंग के माध्यम से 01 वरिष्ठ सहायक |

| | | |
|--------|---|---|
| | एकाउन्टेन्ट की सेवायें प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में। | कार्स्ट एकाउन्टेन्ट की सेवायें (एक वर्ष तक) प्राप्त किये जाने विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। |
| 172/10 | लखनऊ विकास प्राधिकरण के अकेन्द्रियत सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रतिमाह भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में। | सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के अकेन्द्रियत सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रतिमाह भुगतान किये जाने विषयक प्रस्ताव को इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि मात्र आवश्यक धनराशि ही अधिष्ठान मद से प्रत्येक माह अकेन्द्रियत पेंशन फण्ड खाते में हस्तान्तरित की जायेगी। |
| 172/11 | स्व0 श्री श्रीराम कश्यप, बेलदार की सेवाकाल के दौरान चिकित्सा पर व्यय धनराशि इनकी पत्नी को प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में। | प्रस्तुत प्रस्ताव सम्बन्धित शासनादेशों/नियमों के आलोक में पुनर्परीक्षण हेतु स्थगित किया गया। |
| 172/12 | श्री हरि प्रसाद, प्लम्बर की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में। | प्रस्तुत प्रस्ताव सम्बन्धित शासनादेशों/नियमों के आलोक में पुनर्परीक्षण हेतु स्थगित किया गया। |
| 172/13 | मा0 अंकुश समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बाबत अनार्जित खसरा संख्या—36 क्षेत्रफल 0.190 हेठा स्थित ग्राम—औरंगाबाद खालसा, लखनऊ की भूमि के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि मा0 अंकुश समिति की बैठक दिनांक 09.11.2021 के कार्यवृत्त के आलोक में प्रस्ताव पुनः आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय। | सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा मा0 अंकुश समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बाबत अनार्जित खसरा संख्या—36 क्षेत्रफल 0.190 हेठा स्थित ग्राम—औरंगाबाद खालसा, लखनऊ की भूमि के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि मा0 अंकुश समिति की बैठक दिनांक 09.11.2021 के कार्यवृत्त के आलोक में प्रस्ताव पुनः आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय। |
| 172/14 | विधान सभा की मा0 याचिका समिति के समक्ष विचाराधीन गोमती नगर विस्तार योजना, से0—4 के अन्तर्गत समायोजित भूखण्ड संख्या—4/385—एस, सक्षम स्तर से अनुमोदित न होने के कारण समायोजन निरस्त कर जमा धनराशि ब्याज सहित वापस करने का निर्णय तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा लिया जा चुका है, अतः आवंटी के पक्ष में आवंटन को पुनर्जीवित कर समायोजन को वैध करते हुए निबन्धन की कार्यवाही करने अथवा आवंटी की जमा धनराशि, धनराशि वापसी की तिथि को प्रचलित आर0बी0आई0 के एम0सी0एल0आर0 दर पर ब्याज सहित वापस करने के सम्बन्ध में। | सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि विधान सभा की मा0 याचिका समिति की बैठक दिनांक 22.11.2021 के कार्यवृत्त के आलोक में प्रस्ताव पुनः आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय। |

| | | |
|----------|---|---|
| 172 / 15 | गोमती नगर योजना के विक्रान्त खण्ड स्थित बजट होटल को ई-ऑक्शन के माध्यम से लीज पर दिये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में। | सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा गोमती नगर योजना के विक्रान्त खण्ड स्थित बजट होटल को ई-ऑक्शन के माध्यम से लीज पर दिये जाने विषयक प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि इस हेतु कंसलटेन्ट का चयन कर लिया जाय। तत्पश्चात् ई-टेण्डर आमंत्रित कर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करते हुए लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जाय। |
| 172 / 16 | One Map ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर One Map लखनऊ तैयार किये जाने के सम्बन्ध में। | सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा One Map ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर One Map लखनऊ तैयार किये जाने विषयक प्रस्ताव स्मार्ट सिटी को भेजने के निर्देश दिये गये। |

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अनुपूरक विषय

| | | |
|---------------------|--|--|
| अनु०वि० 172 / 01 | सी०जी० सिटी चकगंजरिया परियोजना अन्तर्गत विभिन्न प्रयोजनों हेतु भूखण्डों की दर फ्रीज किये जाने के सम्बन्ध में। | सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा सी०जी० सि�टी चकगंजरिया परियोजनान्तर्गत विभिन्न प्रयोजनों हेतु भूखण्डों की दर 01 वर्ष तक फ्रीज किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |
| अनु०वि० 172 / 02 | प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु प्राधिकरण स्त्रोतों से भुगतान करने के सम्बन्ध में। | सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु प्राधिकरण स्त्रोतों से भुगतान करने एवं उसका समायोजन शासन से मिलने वाली धनराशि से करने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |
| अनु०वि० 172 / 03 | लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत नियोजित कालोनियों में भू-उपयोग परिवर्तन/इम्पैक्ट फीस लेते हुए आवासीय भूखण्डों पर अनावासीय क्रियाओं की अनुमन्यता के सम्बन्ध में। | सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा विकास प्राधिकरण की योजनाओं एवं प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गई योजनाओं में महायोजना-2031 के जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत सामुदायिक, वाणिज्यिक एवं कार्यालय उपयोग जोनिंग रेगुलेशन की समस्त अपेक्षायें पूरी करते हुए महायोजना में निर्दिष्ट प्रभाव शुल्क का दोगुना तथा अन्य शुल्क लेते हुए निर्धारित शर्तों के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया, परन्तु इसमें कुछ क्रियाओं यथा—नीलामी बाजार, कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह), होटल, मोटल, रिजार्ट, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स (बहुसामुच्च), पेट्रोल/डीजल/सीएनजी फिलिंग स्टेशन, गैस गोदाम, गैस अधिष्ठान, जंकयार्ड/कबाड़खाना, भण्डारण गोदाम, वेयर— हाउसिंग, मोटर वाहनों के स्पेयर पार्ट्स की बिक्री हेतु दुकान, वाहन क्रय—विक्रय/कार्यशाला/सहायक सामग्री केन्द्र, औद्योगिक, धर्मशाला, बोर्डिंग/लॉजिंग हाउस, छात्रावास, सभा भवन, सामुदायिक भवन, बारात घर, बंकवेट हॉल की अनुमति नहीं दी जायेगी। यह अनुमन्यता |

8

X

| | | |
|-------------------|--|---|
| | | 24मी0 व 24मी0 से अधिक चौड़े मार्गों पर ही होगी। साथ ही केस टू केस समस्त प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के भी निर्देश दिये गये। |
| अनु०वि० 172/04 | लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को वर्तमान समय में मिल रहे वर्दी धुलाई भत्ता एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को देय चिकित्सा भत्ते की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में। | सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को वर्तमान समय में मिल रहा वर्दी धुलाई भत्ता रु 50 से बढ़ाकर रु० 150 एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को देय चिकित्सा भत्ता रु० 300 से बढ़ाकर रु० 1000 किये जाने की अनुमति प्रदान की गई। |

उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।

(पवन कुमार गंगवार)
सचिव, ल०वि०प्रा०,
लखनऊ।

(अक्षय त्रिपाठी)
उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा०,
लखनऊ।

अनुमोदित

(रंजन कुमार)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 172वीं बैठक दिनांक 15.12.2021 में
प्रतिभाग करने वाले सदस्य

| क्रमांक | नाम एवं पदनाम | मोबाइल नम्बर | हस्ताक्षर |
|---------|---|-----------------|--|
| 1. | श्री रंजन कुमार, अध्यक्ष, ल०वि०प्रा० एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ। | | |
| 2. | श्री अक्षय त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। | ३८९३८६६७७२ | |
| 3. | प्रतिनिधि—प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन। | | |
| 4. | श्री अभिषेक प्रकाश, जिलाधिकारी, लखनऊ। | | |
| 5 | श्री अजय कुमार द्विवेदी, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ। <i>Ajay Pandey</i> | 8810721501 | |
| 6 | श्री धर्मेन्द्र वर्मा, वित्त नियंत्रक, आवास एवं विकास परिषद, प्रतिनिधि—अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ०प्र० शासन। | | |
| 7 | श्री दी०के० श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि—आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद। <i>P. D. Srivastava</i> | 8795810173 | |
| 8 | सुश्री रेखा श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त/ प्रतिनिधि—संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ। | 7905752995 | वित्त नियंत्रक अपर Smt. Rekha Srivastava. |
| 9 | श्री ए०के० मिश्रा, नगर नियोजक, प्रतिनिधि— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०। | 9452153302 | |
| 10 | श्री राजेश अवस्थी, मुख्य अभियन्ता, <i>Rajesh Awasthi</i> लखनऊ क्षेत्र प्रतिनिधि—प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ। | 9673962562 | |
| 11 | श्री अनुपम श्रीवास्तव, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, प्रतिनिधि—महानिदेशक पर्यटन, उ०प्र०। | 9953122008 | |
| 12 | श्री पी०एन० सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। | 9415423433 | |
| 13 | श्री पुष्कर शुक्ला, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। | 9415464483 | |
| 14 | श्री राम कृष्ण यादव, पार्षद / सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। | 9415181067 | |
| 15 | श्री राधवराम तिवारी, पार्षद / सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। | 9453818562 | |
| 16 | श्री संजय सिंह राठौर, पार्षद / सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। | 9794500000 | |
| 17 | श्री मुसविर अली “मंशू”, पार्षद / सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। | 9838354344 | |